राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक पीए/आयुक्त/ईजीएस/लोकायुक्त/2009–10 जयपुर, दिनांक 3 NOV 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गांरटी योजना
समस्त राजस्थान (भीलवाडा व उदयपुर के अलावा)

विषयः–लोकपाल की नियुक्ति के संबन्ध में।
प्रसंगः– इस विभाग के पत्रांक पीए/आयुक्त/ई जी एस/2009 दिनांक 07.10.09 एवं दिनांक 23.10.09 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के सन्दर्भ में लेख है कि भारत सरकार ने प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति के आदेश जारी किये हैं। लोकपाल की नियुक्ति राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा की जानी है। इस समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने के लिए, आपके जिले से सम्भावित सात व्यक्तियों की सूचना मय उनके प्रार्थना पत्रों के प्रथम बार दिनांक 21.10.09 तक तथा पुनः स्मरण पत्र लिखकर दिनांक 03.11.2009 तक चाही गई थी, परन्तु खेद है कि आज दिनांक 03.11.09 तक केवल मात्र भीलवाडा एवं उदयपुर जिले के ही प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

अतः आपके जिले में लोकपाल नियुक्ति हेतु सात व्यक्तियों के नाम मय बायोडेटा एवं संक्षिप्त विवरण के साथ, व्यक्तिगत ध्यान देकर दिनांक 06.11.09 तक ई मेल से आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करवाएं, जिससे भारत सरकार के निर्देशानुसार उनका चयन राज्य स्तरीय गठित कमेटी द्वारा करके, उनकी नियुक्ति 01.12.09 से पूर्व की जा सकें।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपी–मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त राजस्थान (भीलवाडा व उदयपुर के अलावा)

परियोजना निदेशक, ईजीएस

D:\Rajesh Saini\Shekhawat jee\13.10.09 (4).doc